

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-31-12/2014/27-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2015

उपाध्यक्ष

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:-ओंकारेश्वर परियोजना अन्तर्गत स्वतंत्र जल निकासी के उपजलग्रहण क्षेत्रों में जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति-लिपिकीय त्रुटि का संशोधन बावत ।

संदर्भ:-इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ-31-12/2014/27-1 दिनांक 02 जनवरी 2015.

—00—

इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ-31-12/2014/27-1 दिनांक 02 जनवरी 2015 के द्वारा उपर्युक्त विषयांकित कार्य हेतु ₹ 15549.64 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, उक्त ज्ञाप की कंडिका 1 में लिपिकीय त्रुटिवंश परिशिष्ट-1 दर्शाया गया था, जिसे परिशिष्ट एक से चार पढ़ा जावे एवं शब्दों में राशि ₹ पन्द्रह हजार पाँच सौ उन्चास करोड़ चौसठ लाख मात्र के स्थान पर राशि ₹ पन्द्रह हजार पाँच सौ उन्चास लाख चौसठ हजार मात्र पढ़ा जावे ।

उक्त कार्यो पर होने वाले व्यय मांग संख्या 48/4801/01/0101/235/9091/64-001 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2015

क्रमांक एफ-31-12/2014/27-1

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
4. सदस्य अभियांत्रिकी/वित्त/पर्यावरण एवं वन न.घा.वि.प्रा. भोपाल ।
5. संभागायुक्त, इन्दौर म0प्र0 ।
6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, भोपाल ।
7. महालेखाकार मध्यप्रदेश भोपाल/ग्वालियर ।
8. सचिव, नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
9. मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजना इन्दौर ।
10. संचालक (ज.ग्र.क्षे.उ.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
11. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर उक्त आदेश बेवसाइट पर दर्ज कराने हेतु अग्रेषित ।

12. आर्डर बुक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग